महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन,

ब्लॉक–II, द्वितीय तल, अटल नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

☎0771-2331659, Email ID-nregastatecell@gmail.com

क्रमांक/2167 /वि–7/MGNREGA/7 Registers/2019–20 अटल नगर, रायपुर, दि–13/06/2019

प्रति,

जिला कार्यक्रम समन्वयक (Mahatma Gandhi NREGA) **/कलेक्टर,**
समस्त जिला, छत्तीसगढ़।

विषय :– **महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायतों में 07 रजिस्टर/पंजियों के संधारण हेतु हेतु सुगमता सुनिश्चित करने बाबत्।**

संदर्भ:– **कार्यालय का पत्र क्रमांक 1694/वि–7/MGNREGA/7 Registers/2019–20 अटल नगर, रायपुर, दिनांक– 10.05.2019।**

//0//

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में 07 रजिस्टर/पंजियों को संधारित किये जाने से संबंधित सरल मार्गदर्शिका जारी की गई थी। मार्गदर्शिका के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर 7 रजिस्टरों के संधारण हेतु सुगमता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1.) निर्धारित प्रपत्रानुसार 7 रजिस्टरों को बनाने के लिए, प्रिन्टिग प्रेस से मुद्रण के स्थान पर निर्धारित प्रारुप में हस्तलिखित रजिस्टरों को तैयार करने के लिए ग्राम रोजगार सहायकों को प्रोत्साहित किया जावे।

2.) रजिस्टर तैयार करने के लिए 400–500 पेज एवं 200–300 पेज के कोरे रजिस्टर (लाईन वाली कॉपी) के क्रय एवं आवश्यक स्टेशनरी हेतु ग्राम पंचायत को उनकी मांग के अनुसार आवश्यक राशि योजनांतर्गत प्रशासकीय मद से प्रदान की जाये।

3.) रजिस्टरों की सुरक्षा के मद्देनजर उन पर जिल्द/कव्हर चढ़ाने हेतु ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित भी किया जाये।

4.) जिला स्तर से 7 रजिस्टरों का मुद्रण अथवा कॉपी का क्रय–वितरण ग्राम पंचायतों को नहीं किया जायेगा। जिला पंचायत के द्वारा समय–समय पर केवल 7 रजिस्टर्स के निर्माण, संधारण, अद्यतन एवं ततसंबंधित शंकाओं/समस्याओं का निवारण में ग्राम पंचायत को सुगमता प्रदान की जावेगी।

5.) जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर गुड गवर्नेंस के प्रशिक्षण के उपरांत, जनपद पंचायत स्तर पर एक रोटेशन निर्धारित कर प्रत्येक 3–माह में समस्त ग्राम पंचायतों में सरल मार्गदर्शिका के अनुसार संधारित किये जा रहे 7 रजिस्टरों/पंजियों का अवलोकन/पर्यवेक्षण किया जावेगा तथा अद्यतन किये जाने हेतु ग्राम रोजगार सहायक/सचिव, ग्राम पंचायत को यथाआवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जावेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का परिपालन कराते हुए, ग्राम पंचायतों में निर्धारित 07 रजिस्टरों/पंजियों का संधारण अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करावें।

(भीम सिंह)
आयुक्त
महात्मा गांधी नरेगा
अटल नगर, रायपुर,
छत्तीसगढ़